न्यायालय तहसीलदार परबतसर (नागौर) राजस्थान

प्रार्थी राज.सरकार जरिये पटवारी हल्का खोखर

बनाम

अप्रार्थी :– बजरंगलाल पुत्र गंगाराम जाति खाती निवासी चारणावास

अन्तर्गत धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या 10/18

निर्णय दिनांक 30.04.2018

पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का खोखर ने अप्रार्थी के विरूद्व टी.पी.रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि अप्रार्थी द्वारा संवत् 2075 में सरहद चारणावास के खसरा नम्बर 16 किस्म गै.मु.रास्ता में रकबा 0.0420 है. भूमि में पक्का मकान बना कर अतिक्रमण किया है। जिस पर वाद धारा 91 एल आर एक्ट 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को वास्ते वजह सबूत नोटिस जारी किया गया। नोटिश विधिवत तामिल होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी दिनांक 25.04.2018 को उपस्थित रहा। अप्रार्थी द्वारा कोई जवाब पेश नहीं किया गया इसलिए एकतरफा कार्यवाही की जाती है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजातो एवं हल्का पटवारी की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया । अप्रार्थी का मौजा चारणावास के खसरा नम्बर 16 किस्म गै.मु. रास्ता में रकबा 0.0420 है. की भूमि पर अतिक्रमण किया जाना वर्तमान में सिद्ध होना पाये जाने पर अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अतः अप्रार्थी द्वारा उक्त अतिक्रमित भूमि पर किये गये अतिक्रमण को मौके से बेदखल करने का आदेश पारित किया जाता है। लगान दर 6 रूपये प्रति हैक्टेयर की दर से अतिक्रमित रकबा 0.0420 है. भूमि के 0.252 रूपये लगान का 50 गुणा 13/– अक्षरे तेरह रूपये बतौर जुर्माना दण्डित किया जाता है। जुर्माना की राशि तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी हल्का को मांग कायमी कर वसूली हेतु लिखा जावे। पटवारी हल्का को आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी को मौके से भौतिक रूप से बेदखल कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनॉक 30.04.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार परबतसर